I/186005/2024

प्रेषक, ई फाईल संख्या-**53351/29**

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2024

विषयः **वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा में विभिन्न 07 निर्माण कार्यों (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 5.963 कि०मी० एवं लागत ₹236.68 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹236.68 लाख (₹दो करोड़ छत्तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात 07 कार्यों हेतु कुल ₹0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा में ग्राम सोहलपुर गाड़ा में मेन रोड से श्री गफ्फार के खेत की ओर खडण्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.548	17.84	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा में ग्राम नन्हेडा अनंतपुर में मेन रोड से देवेन्द्र त्यागी के खेत की ओर ईट खडण्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.765	24.34	0.10
3.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा में ग्राम नन्हेडा अनंतपुर में गजे सिंह मुन्शी के खेत से देशराज के खेत तक ईट खडण्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.580	18.45	0.10
4.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा में मंगलौर नहर के पुल से नहर की पटरी सैदपुरा तक सी०सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.980	48.83	0.10
5.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा में ग्राम तांशीपुर में संजीव के मकान से महेन्द्र के मकान से होते हुए बारात घर तक सी०सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.510	29.17	0.10
6.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में श्री तेजपाल के खेत से श्री हरी श्याम पण्डित जी के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.840	32.98	0.10

7.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में शेरपुर लखनौता मार्ग से श्री सुन्दर के खेत तक व श्री ज्ञानचन्द नम्बरदार के खेत से श्री जगपाल के खेत तक खडण्ज़ा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	1.740	65.07	0.10
	योग	**5.963**	**236.68**	**0.70**

(₹सत्तर हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

i. ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण/रख-रखाव के दृष्टिगत मार्ग निर्माण के उपरान्त मार्ग को ग्राम पंचायत के सक्षम स्तर पर हस्तान्तरित किया जायेगा तथा मार्ग के सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सक्षम स्तर पर एम०ओ०यू० किया जाय।

ii. उक्त तालिका के क्रमांक-1,2,3,6 एवं 7 पर अंकित कार्य/आगणन की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि मार्ग पर निर्माण से पूर्व मिट्टी के क्रास-सेक्शन एवं एल-सेक्शन बनाकर तैयार करा लिया जायेगा।

iii. तालिका के क्रमांक-4 एवं 5 पर अंकित कार्य/आगणन पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि कार्य करने से पूर्व इन निर्माण कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा दी गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन/ड्राइंग उनसे परीक्षण करवा कर आगणन प्रतिहस्ताक्षरित करवा लिया जायेगा।

iv. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शैडयूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

v. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त (वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)E-20209/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

vi. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

vii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

viii. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

ix. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

x. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

xi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xii. यदि विषयगत कार्यों को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xiii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xiv. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xvi. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 203-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/185337/2024, दिनांक 29.01.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 30-01-2024 18:05:30

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे०कार्या०, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रूड़की ।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/186005/2024
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S24020220001
आवंटन पत्र दिनांक-01-FEB-2024

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	9470000	70000	0	9540000
योग	9470000	70000	0	9540000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 149 / 20 याता0'क'नियो0–1 / 2024 दिनांक– 15 .02.2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार ।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून